डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति / अध्यक्ष,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

2. निदेशक,
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त विभागाध्यक्षगण,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

4. विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

5. कुलसचिव / सदस्य सचिव,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

6. डॉ0 संजीव गुप्ता,
   एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

7. श्री आशीष गुप्ता,
   असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

पत्रांक : 213 / फासं–568 / डीएसएमएनआरयू / वि0परि0 / चतुर्थ बैठक / 2018–19 दिनांक: 30.05. 2018

विषयः–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की चतुर्थ बैठक दिनाँक 15.03.2018 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 15.03.2018 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

विद्या परिषद् – चतुर्थ बैठक

दिनांक 15 मार्च, 2018

का

कार्यवृत्त

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या परिषद की चौथी बैठक दिनांक 15.03.2018 का कार्यवृत्त

बिन्दु संख्याः 1/4: विद्या परिषद की तृतीय बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् के तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्याः 2/4: विद्या परिषद की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः विद्या परिषद् की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय लिये गयेः

बिन्दु संख्या–3.3 : विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विंग (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापना हेतु उक्त प्रस्तावित संकाय के अधीन भिन्न रूपेण समर्थ विद्यार्थियों के हितार्थ सत्र 2016–17 से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तथा कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग में बी0टेक पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने हेतु अपेक्षित शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन एवं अन्य आवश्यक संसाधन की यथापेक्षित कार्यवाही हेतु विद्या परिषद से अनुमोदन/अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत कर मा. अध्यक्ष, सामान्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए तथा प्रकरण को आगामी सामान्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–3.4: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी0एड0 विशेष शिक्षा (श्रवणबाधितार्थ, मानसिक मन्दितार्थ एवं दृष्टिबाधितार्थ) डिग्री पाठ्यकमों के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी0एड0 विशेष शिक्षा (श्रवणबाधितार्थ, मानसिक मन्दितार्थ एवं दृष्टिबाधितार्थ) डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं को समाहित करते हुए पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(... कुमार पर्वत)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

क) उक्त हेतु नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाएं।

ख) उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु एक समायावधि सुनिश्चित करते हुए बाधाओं एवं समस्याओं को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या–3.5: विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन बी.ए. बी0एड0 / बी.कॉम. बी0एड0 / बी.एससी.बी0एड0 (विशेष शिक्षा) इन्टीग्रेटेड / डिप्लोमा / पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र 2016–17 से संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन बी.ए. बी0एड0 / बी.कॉम. बी0एड0 / बी.एससी. बी0एड0(विशेष शिक्षा) इन्टीग्रेटेड / डिप्लोमा / पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं को समाहित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाए:

क) नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समस्त औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाएं।

ख) उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु एक समायावधि सुनिश्चित करते हुए बाधाओं एवं समस्याओं को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या–3.7 : विश्वविद्यालय में विकलांगजन हेतु स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में बैचलर इन आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लंग्वेज पैथालॉजी (BASLP) एवं बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एण्ड ऑर्थोटिक्स (BPO) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों के साथ अतिरिक्त काउन्सलर के 04 पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम में सृजित पदों के सापेक्ष निर्धारित चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जाए। चयन प्रकिया पूर्ण होने तक उक्त पाठ्यक्रम में गुणात्मक शिक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययरनत् विद्यार्थियों हेतु गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जायें।

बिन्दु संख्या–3.10 : विश्वविद्यालय में "कला एवं पुरातत्व संग्रहालय" की स्थापना के सम्बन्ध में।

(... कुमार वर्मा)

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि "कला एवं पुरातत्व संग्रहालय" हेतु अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।

बिन्दु संख्या–3.12 : विश्वविद्यालय से नवीन कॉलेजों की सम्बद्धता हेतु नोशनल फैकल्टी एवं नोशनल विभाग के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का विधिवत् परीक्षण कर शासन को आदेशार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाए।

बिन्दु संख्या–3.13 : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन नवीन विभागों के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा उक्त बिन्दु के उप बिन्दु 'क' एवं 'ख' पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को मा. अध्यक्ष, सामान्य परिषद के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने एवं आगामी सामान्य परिषद् में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–3.14 (1): विश्वविद्यालय में कार्यरत् गैर पी–एच.डी. धारक शिक्षकों के साथ–साथ कर्मचारियों/शिक्षकों के आश्रितों को पी–एच.डी. प्रवेश में आरक्षण प्रदान किये जाने के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त प्रस्ताव के संबंध में गठित समिति सम्पूर्ण बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त आख्या कुलपति, विश्वविद्यालय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु संख्या–3.14 (3): विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को विकलांगता से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किये जाने हेतु स्पेशल "एकेडमिक स्टाफ कॉलेज" की स्थापना के सम्बन्ध में।

निर्णय:विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग अन्य शिक्षकों के सहयोग से एक पॉवर प्वाइंट प्रज़ेंटेशन का प्रस्तुतीकरण विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)

बिन्दु संख्या–3.14 (4): विश्वविद्यालय में कक्षा छः से इण्टरमीडिएट तक की कक्षाओं के संचालन हेतु ''मॉडल स्कूल'' की स्थापना के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त ''मॉडल स्कूल'' के संचालन का उत्तरदायित्व निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0 प्र0 का है। विश्वविद्यालय स्तर से वांछित सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 के मध्य एम.ओ.यू. सम्पादन की कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या–3.14 (5): विशेष शिक्षा संकाय के अंतर्गत विश्वविद्यालय में संचालित सेण्टर फॉर इण्डियन साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज द्वारा आयोजित किये जाने वाले द्विवर्षीय प्री–डिग्री कोर्स(सी.आई.एस.एल.डी.एस. तथा पी.डी.सी.डी.) के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा यूनिवर्सिटी मैंडेट के अनुसार विधिवत् परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या : 3/4 : विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में निर्धारित एकेडमिक कैलेण्डर की स्वीकृति तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 के एकेडमिक कैलेण्डर के सम्बन्ध में।

निर्णयः क) विद्या परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में निर्धारित एकेडमिक कैलेण्डर पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

ख) शैक्षणिक सत्र 2018–19 का एकेडमिक कैलेण्डर विकसित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त अधिष्ठाता एवं परीक्षा नियंत्रक की एक समिति बनाई जाए, जिसमें समस्त एकेडमिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों को समाहित किया जाए। उक्त पर अनुमोदन प्रदान करते हुए कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्याः 4/4 : विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णयः क) विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ.

ख) यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय द्वारा अन्य महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के निमित्त शुल्क संरचना पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए।
शुल्क से संबंधित समस्त प्रकरण उक्त गठित समिति के माध्यम से कुलपति/कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाए।

बिन्दु संख्याः 5/4 : कम्प्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 से संचालित किये जाने वाले स्ववित्तपोषित नवीन बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के संचालन एवं पाठ्यचर्या (सिलेबस) के सम्बन्ध में।

निर्णयःउक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा निर्देश प्रदान किए गए किः

क) इस प्रकार के समस्त प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पाठ्यचर्या, शिक्षण शुल्क इत्यादि समस्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए एक चेक लिस्ट तैयार की जाए। चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्तावों का परीक्षण किया जाए।
ख) संबंधित पाठ्यकम हेतु नियामक संस्था के मानकानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
ग) यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रस्तावों को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पूर्व एक उप–समिति गठित की जाए, जो ऐसे प्रस्तावों का विधिवत् परीक्षण करे तथा परीक्षणोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्याः 6/4 : शैक्षणिक सत्र 2016–17 से प्रबन्धशास्त्र विभागान्तर्गत संचालित स्ववित्तपोषित बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को पत्रावली पर मा. अध्यक्ष, सामान्य परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाए। तत्पश्चात् आगामी सामान्य परिषद् की बैठक में भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्याः 7/4 : विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–22(छः) व (पन्द्रह) तथा धारा–32{1(सात)} एवं 32(2) के आलोक्य में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017–18 में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु अपनाई गई आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)

बिन्दु संख्याः 8/4 : विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

क) कुलपति, विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें सदस्य सचिव के रूप में कुलसचिव को नामित किया गया। विद्या परिषद् द्वारा समिति/समितियों के गठन हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।

ख) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता/मान्यता के संबंध में एक चेक लिस्ट/प्रारूप तैयार किया जाए।

ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं को चेक लिस्ट/प्रारूप के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर उनसे शपथ–पत्र प्राप्त किया जाए कि वह निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं अथवा नहीं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं से प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करके सत्यापन कराया जाए।

बिन्दु संख्याः 9/4 : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या(सिलेबस) के अनुमोदन के संबंध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 10/4 : विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् पी–एच.डी. शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 11/4 : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं हेतु निर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन(एन.ओ.सी.)/सम्बद्धता–आदेश की डुप्लीकेट प्रति हेतु निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्रारुप के सम्बन्ध में।

निर्णयः क) उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं हेतु निर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन(एन.ओ.सी)/सम्बद्धता आदेश की डुप्लीकेट प्रति हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क न लिया जाए।

ख) यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं हेतु निर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन (एन.ओ.सी)/सम्बद्धता आदेश की पी.डी.एफ. प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड अथवा ई–मेल के माध्यम से संबंधित संस्थान/महाविद्यालय को प्रेषित कर दिया जाए।

बिन्दु संख्याः 12/4 : विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेजों की सम्बद्धता सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित कार्यविधि के मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण कुलसचिव, विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति को सन्दर्भित कर दिया जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रकरण आगामी विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बिन्दु संख्याः 13/4 : शैक्षणिक सत्र 2016–17 व 2017–18 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् शैक्षिक सत्र 2016–17 में सम्बद्ध किए गए कॉलेजों/संस्थानों की सूची से अवगत हुई एवं विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

क) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता/मान्यता के संबंध में एक चेक लिस्ट/नवीन प्रारूप तैयार किया जाए।

ख) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं को चेकलिस्ट/नवीन प्रारूप के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर उनसे शपथ–पत्र प्राप्त किया जाए कि वह निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं अथवा नहीं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं से प्राप्त शपथ–पत्र के आधार पर संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं का सत्यापन कराया जाए। यदि कोई कमी

पायी जाती है, तो निर्धारित समयावधि प्रदान करने के उपरान्त मानकों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ग) विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव को कार्य परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।

बिन्दु संख्याः 14/4: अर्थशास्त्र विभाग में संचालित एम0ए0 पाठ्यकम में नवीन संरचना के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 15/4 : अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग में संचालित स्नातक, परास्नातक और पी–एच0डी0 कोर्स वर्क के संशोधित पाठ्यक्रम, अंग्रेजी विभाग में लैंग्वेज लैब की स्थापना तथा तीन माह का अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। विद्या परिषद् द्वारा निर्देश दिए गए कि लैंग्वेज लैब की स्थापना के संबंध में ब्रिटिश कॉउंसिल संस्थान का भ्रमण कर समुचित प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्याः 16/4 : ललित कला विभाग की अध्ययन मण्डल की आहूत बैठक द्वारा संस्तुत किये गये विभिन्न बिन्दुओं पर अनुमोदन के संबंध में।

निर्णयः
1) विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2) विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
3) विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

बिन्दु संख्याः 17/4 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायतित यू.जी.सी. लघु शोध परियोजनान्तर्गत शिक्षकवृन्द हेतु विश्वविद्यालय निधि से वांछित धनराशि के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 18/4 : विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याता/विषय–विशेषज्ञ की सेवायें लेने व मानदेय भुगतान किये जाने हेतु नीति–निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में 04 सदस्यीय समिति जिसमें प्रो. एच.एस. झा, प्रो. आर.आर. सिंह, प्रो. शेफाली यादव एवं सदस्य सचिव के रूप में उप कुलसचिव डॉ0 ए0 के0 सिंह को नामित किया गया।

समिति से यह अपेक्षा की गयी कि यथाशीघ्र उक्त के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु संख्याः 19/4:

(1) समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक कार्य विभागान्तर्गत सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स व विशेष व्याख्यान के लिये बजट की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) IQAC के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

निर्णयः1) विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :

क) कुलसचिव द्वारा एक समिति बनाई जाए, जिसमें शिक्षकवृन्द एवं वित्त अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

ख) समस्त विभागों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में विभागान्तर्गत समस्त प्रकार के कियाकलापों यथा सेमिनार, कॉन्फ्रेस, विशेष व्याख्यान अथवा सांस्कृति कार्यक्रमों इत्यादि आयोजित किए जाने के संबंध में संभावित बजट का प्राविधान करते हुए प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएं। उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा पोषित कार्यक्रमों को भी समाहित किया जाए। इस हेतु विलम्बतम् 05 अप्रैल, 2018 तक समयावधि निर्धारित की गयी।

ग) अप्रत्यशित कार्यक्रमों हेतु निर्धारित बजट की 20 प्रतिशत धनराशि सुरक्षित (रिजर्व) रखी जाए।

2) विद्या परिषद् द्वारा IQAC के पुनर्गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 20/4 : भौतिक विज्ञान विभागान्तर्गत भौतिकी रिसर्च लैब की स्थापना एवं स्नातकोत्तर भौतिकी लैब की स्थापना के संबंध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त लैब का नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के नाम से "स्टीफन

(मधुरेन्द्र ...)
...
राष्ट्रीय ... विश्वविद्यालय,
लखनऊ

हॉकिंग फिज़िकल साइंसेज़ रिसर्च लैब" किया जाए। कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी संयुक्त रूप से उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करें।

विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु अन्य स्रोतों यथा यूजीसी अथवा सीएसआईआर इत्यादि संस्थाओं से भी सम्पर्क किया जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि लैब हेतु किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पद की मांग संबंधित विभाग द्वारा नहीं की जाएगी।

बिन्दु संख्याः 21/4 :

(1) इतिहास विभाग का नाम "इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग" किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) हिस्ट्री कनेक्ट नाम से ऑन लाइन पोर्टल संचालन के सम्बन्ध में।

(3) इतिहास विभाग द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नवीन संरचना के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयः 1) इतिहास विभाग का नाम "इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग" किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद् द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

2) हिस्ट्री कनेक्ट नाम से ऑन लाइन पोर्टल संचालन के सम्बन्ध में विद्या परिषद् द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में विभागाध्यक्ष द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि उक्त हेतु किसी भी प्रकार के पद की अतिरिक्त मांग नहीं होगी एवं पोर्टल विभाग के स्वयं के संसाधनों से ही संचालित किया जाएगा।

3) इतिहास विभाग द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नवीन संरचना के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 22/4 : रसायन विभागान्तर्गत बी.एस.सी., एम.एस.सी. की पाठ्यचर्या (सिलेबस) व पी.एचडी. कोर्स वर्क पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णयःविद्या परिषद् द्वारा बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए शेष पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 23/4 :

1. माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 20 सीट्स के साथ M.Sc. (Applied Microbiology) कार्यक्रम प्रारम्भ करने व फीस निर्धारण के संबंध में।

(सुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

2. M.Sc. (Microbiology) की पाठ्यचर्या तथा Ph.D.(Microbiology) कोर्स वर्क की स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को बोड ऑफ स्टडीज़ के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्याः 24/4 : वाणिज्य विभागान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2017–18 से बी0कॉम0 एवं एम0कॉम0 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सीटों व शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णयः क) विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

ख) आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु बी0कॉम0 एवं एम0कॉम0 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान न करते हुए संबंधित विभाग से रेगुलर मोड में सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए ।

ग) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कार्ययोजना विकसित कर ग्रीष्मकालीन लघु पाठ्यक्रम यथा जीएसटी, टैली, ट्रेडर्स हेतु विशिष्ट प्रोग्राम इत्यादि 01 सप्ताह अथवा 15 दिवस का लघु पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

बिन्दु संख्याः 25/4 : अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत परास्नातक स्तर पर एम.टेक. (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग) कार्यक्रम प्रारम्भ करने, संचालित बी.टेक पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या, शुल्क निर्धारण, कम्प्यूटर लैब की स्थापना तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा रूप में कार्यरत् संकाय सदस्यों के वेतन व अवकाश के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में उक्त प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए विस्तृत प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण कर आगामी विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्याः 26/4 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :

1. विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में डिग्री/डिप्लोमा एवं पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा एम.एस.सी. (आई. टी.) पाठ्यचर्या, सत्र 2017–18 पर प्रदत्त संस्तुति के क्रम में संचालित एम. एस.सी.(आई.टी.) एवं संगत पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के इंजीनियरिंग विभाग की गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग) पाठ्यचर्या पर प्रदत्त संस्तुति के क्रम में संचालित पाठ्यक्रमों बी.टेक. की पाठ्यचर्या पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2016–17 में संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में बी.टेक. के प्रथम सत्र के पाठ्यचर्या पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. इंटरप्रेटर के संबंध में।

निर्णयः विद्या परिषद् द्वारा इंटरप्रेटर के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित मानदेय पर नियुक्त इंटरप्रेटर्स की सेवाएं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017–18 की परीक्षा समाप्ति तक विस्तारित कर दी जाएं। साथ ही मूक–बधिर दिव्यांगों के सहायतार्थ विश्वविद्यालय में पूर्ण शैक्षिक समयावधि प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक) उपस्थित रहने एवं इस हेतु निर्धारित मानदेय प्रदान किए जाने विषयक प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow